



भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE

सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS

सीमाशुल्क गृह, विल्लिंगटन आईलैंड, कोचिन-682009

CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009

Sevottam Compliant



An IS 15700 certified Custom House

Website: www.cochincustoms.gov.in

Control Room: 0484-2666422

E-mail: commr@cochincustoms.gov.in

Fax: 0484-2668468

Ph: 0484-2666861-64/774/776

F.No FSP/01/2017.Cus

तारीख Date: 03.10.2017

व्यापार सुविधा TRADE FACILITY No. 11/ 2017

विषय : सी.बी.ई.सी. के परिपत्र सं. 26/2017-कस्टम्स दिनांक 01.07.2017, परिपत्र सं. 36/2017 दिनांक 28.08.2017 और परिपत्र सं. 37/2017 दिनांक 20.09.2017 के परिणामस्वरूप जी.एस.टी. प्रणाली में निर्यातकों को सेल्फ-सीलिंग अनुमति (एस.एस.पी.) प्रदान करने संबंधी प्रक्रिया- संबंधित।

Sub: Procedure for grant of self-sealing permission (SSP) to the exporters in GST regime consequent to CBEC Circular No. 26/2017 - Customs dated 01.07.2017, Circular No. 36/2017 dated 28.08.2017 and Circular No.37/2017 dated 20.09.2017—reg.

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सभी निर्यातकों/आयातकों/स्टीमर एजेंटों/सीमाशुल्क ब्रोकरों/ व्यापार एवं उद्योग जगत एवं आम जनता का ध्यान सी.बी.ई.सी. के परिपत्र सं. 26/2017-कस्टम्स दिनांक 01.07.2017, परिपत्र सं. 36/2017 दिनांक 28.08.2017 और परिपत्र सं. 37/2017 दिनांक 20.09.2017 की ओर आकर्षित किया जाता है।

Attention of all Exporters/ Importers/ Steamer Agents/ Customs Brokers/ Trade & Industry and the Public is invited to the CBEC Circular No. 26/2017-Cus dated 01-7-2017, Circular no. 36/2017 dated 28.08.2017 and Circular No. 37/2017-Cus dated 20.09.2017 on the above subject.

2. बोर्ड के परिपत्र सं. 26/2017 दिनांक 01.07.2017 में कंटेनरीकृत कारगो की निर्यात प्रक्रिया एवं सीलिंग में परिवर्तित निर्धारित किए गए हैं। वर्तमान में, हवाईअड्डे/आईसीडी में कारगो की तीन श्रेणियां आती हैं।

Board Circular No. 26/2017-Cus dated 01-7-2017 prescribes changes in the export procedures and sealing of containerized cargo. At present, there are three categories of containers which arrive at the port/ICD:

- a. **सेल्फ-सीलिंग प्रक्रिया** के तहत कारखाने में या माल-गोदाम में स्टम किए गए कंटेनर।

Containers stuffed at factory premises or warehouse under **self-sealing procedure**.

- b. **केंद्रीय उत्पादशुल्क अधिकारी के अधीक्षण में** कारखाने में या माल-गोदाम में स्टफ/ सील किए गए कंटेनर।

Containers stuffed / sealed at factory premises or warehouse **under supervision of Central Excise Officer**.

- c. कंटेनर फ्राइट स्टेशनों/इनलैंड कंटेनर डिपो में स्टफ या सील किए गए कंटेनर।

Containers stuffed and sealed at Container Freight Stations/ Inland Container Depot.

3. समानता और व्यापार करने की सुविधा के उद्देश्य से बोर्ड ने निर्यात कारगो की कारखाने में स्टफिंग के संबंध में प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है, जो केंद्रीय उत्पादशुल्क अधिकारियों के अधीक्षण की जाती थी। बोर्ड का उद्देश्य यह है कि विभाग के जोखिम प्रबंधन प्रणाली एवं आसूचना व्यवस्था को सुदृढ़ बनाकर आपसी भरोसे पर माहौल में मौजूदा नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यह निर्णय लिया गया है कि निर्यात माल को सीबीईसी अधिकारियों द्वारा सील करने की प्रणाली को समाप्त किया जाए और इसके स्थान पर सेल्फ सीलिंग प्रक्रिया का अनुसरण किया जाए।

For the sake of uniformity and ease of doing business, Board has decided to simplify the procedure relating to factory stuffing of export cargo, hitherto carried out under the supervision of the Central Excise officers. It is the endeavour of the Board to create a trust based environment where compliance in accordance with the extant laws is ensured by strengthening Risk Management System and Intelligence setup of the department. It has been decided to do away with the sealing of containers with export goods by CBEC officials and instead follow a self sealing procedure.

4. बोर्ड के परिपत्र सं. 36/2017 में आगे यह भी स्पष्ट किया गया है कि अधीक्षण कारखाना स्टफिंग प्रणाली के तहत अपने कारखाने में सीलिंग की सुविधा का लाभ उठाने वाले निर्यातक स्वतः सेल्फ-सीलिंग प्रक्रिया के पात्र हो जाएंगे। सभी निर्यातक एईओ भी सेल्फ-सीलिंग के पात्र बन जाएंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि पहले से सेल्फ-सीलिंग प्रक्रिया के तहत कार्य करने वाले किसी भी निर्यातक को सेल्फ-सीलिंग अनुमति के लिए संबंधित क्षेत्राधिकार के सीमाशुल्क प्राधिकारियों से संपर्क करने की कोई आवश्यकता नहीं

है। अधीक्षण कारखाना स्टफिंग अनुमति वाले निर्यातकों को बिंदु सं. 5.1.3 के तहत प्राधिकृत हस्ताक्षरियों की सूची प्रस्तुत करनी होगी।

Board Circular no. 36/2017 clarifies further that exporters who were availing the facility of sealing at their factory premises under the system of supervised factory stuffing will be automatically entitled for self-sealing procedure. All exporter AEOs will also be eligible for self-sealing. It is clarified that all those exporters who are already operating under the self-sealing procedure need not approach the jurisdictional Customs authorities for the self-sealing permission. Exporters with supervised factory stuffing permission need to submit the list of authorised signatories as per point 5.1.3.

5. इस संबंध में, इस सीमाशुल्क गृह के अधिकारक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले परिसरों के लिए निर्यात कंटेनरों की सेल्फ-सीलिंग अनुमति मांगने की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

In this regard, the procedure for seeking self-sealing permission of export containers from the premises falling under the jurisdiction of this Custom House is prescribed as follows:

5.1 निर्यातक को / The exporter shall:-

5.1.1 इस कार्यालय के सीमाशुल्क अधीक्षक (एसएसपी) को पहली योजनाबद्ध निर्यात से कम से कम 15 दिन पहले **अनुबंध-ए** के रूप में संलग्न प्रपत्र के अनुसार आवश्यक सूचना सहित कारखाना परिसर या माल-गोदाम से निर्यात माल की सेल्फ-सीलिंग के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के लिए उनके द्वारा की गई व्यवस्था के बारे में सूचित करना चाहिए।

Inform the Superintendent of Customs (SSP) of this office about their arrangement to follow self-sealing procedure to export goods from the factory premises or warehouse at least 15 days before the first planned export along with necessary information as per format enclosed as **Annexure 'A'**;

5.1.2 जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत हों और जीएसटीआर1 और जएसटीआर2 दायर करते हों।

Be registered under the GST and should be filing GSTR1 and GSTR2.

5.1.3 उसके साथ **अनुबंध-बी** के रूप में संलग्न प्रपत्र के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की एक सूची, उनके नमूना हस्ताक्षरों के साथ, प्रस्तुत करनी चाहिए जो निर्यातक की तरफ से सेल्फ-सीलिंग एवं सेल्फ-सर्टिफिकेशन के लिए प्राधिकृत किए गए हों।

Submit therewith a list of persons, along with their specimen signatures, who are authorized on behalf of the exporter to do the self-sealing and self-certification as per format enclosed as **Annexure -"B"**

- 5.1.4 प्रत्येक प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के पहचान प्रमाणपत्र (फोटो सहित) एवं आवासीय पते के प्रमाण निर्यातक द्वारा सत्यापित तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा हस्ताक्षर के सत्यापन प्रमाणपत्र के साथ प्रस्तुत करने चाहिए। (पहचान और पते के प्रमाण के रूप में स्व-सत्यापित आधार की प्रतियां पर्याप्त हैं।)

Submit copies of their identity proof (with photograph) and proof of Address of each individual authorized signatory, attested by the exporter along with a certificate of signature verification from any of the Scheduled Commercial Banks. (Self attested copies of Aadhar would serve the purpose of proof of identity & address)

- 5.1.5 डीजीएफटी द्वारा जारी आईई कोड तथा जीएसटीआईएन की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए।

Submit a self attested copy of the I.E. Code issued by the D.G.F.T and GSTIN;

- 5.1.6 जिन परिसरों/कारखाने में निर्यात माल को कंटेनरों में स्टफ किया जाना है, उनके स्वामित्व संबंधी या किराया/लीज संबंधी समझौते के दस्तावेज़ प्रस्तुत करने चाहिए।

Submit copies of ownership documents of the premises/factory or rental/lease agreement where stuffing of the export goods into containers is to be done;

- 5.1.7 पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र की प्रति, कंपनी का संक्षिप्त विवरण आदि पिछले 2 (दो) वर्ष के नौवहन बिल इतिहास तथा अन्य संगत दस्तावेज़ (स्व-सत्यापित) के साथ प्रस्तुत करने चाहिए।

Submit copy of Registration cum Membership Certificate, brief profile of the company along with shipping bill history of preceding 2 (two) years and other relevant documents (self attested).

- 6.** संलग्नकों के साथ सूचना इस कार्यालय में प्राप्त की जाएगी और इसकी विधिवत् पावती निर्यातक को दे दी जाएगी। अधीक्षक (एसएसपी) या सीमाशुल्क निरीक्षक कंटेनर स्टफिंग की व्यवहार्यता के संबंध में परिसर का निरीक्षण करेंगे और 48 घंटे के भीतर उप/सहायक सीमाशुल्क आयुक्त (एसएसपी) को अपनी रिपोर्ट देंगे।

The intimation, along with its enclosures, will be received in this Office and a duly acknowledged copy returned to the exporter. The Superintendent (SSP) or Inspector of Customs shall inspect the premises with regard to the viability of stuffing of container in the premises and submit a report to the Deputy/ Assistant Commissioner of Customs (SSP) within 48 hours.

7. उप/सहायक आयुक्त इस प्रस्ताव को प्रधान आयुक्त/सीमाशुल्क आयुक्त को अग्रेषित करेंगे जो संबंध परिसर में निर्यातक को कंटेनरों की सेल्फ-स्टफिंग की इजाजत देने पर विचार करेंगे।

The Deputy/ Assistant Commissioner shall forward the proposal to the Principal Commissioner/ Commissioner of Customs who would consider granting permission of self-sealing of export containers at the required premises.

8. क्षेत्रीय अधिकार वाले किसी प्रधान आयुक्त/सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा एक बार प्रदान की गई सेल्फ-सीलिंग अनुमति, कानून, नियम और विनियमों का अनुसरण न करने की वृहज से क्षेत्रीय अधिकार वाले प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त द्वारा रद्द किए जाने तक सभी सीमाशुल्क स्टेशनों में निर्यात के लिए वैध होगी।

Self-Sealing permission once granted by a Jurisdictional Principal Commissioner/ Commissioner of Customs shall be valid for exports at all customs stations unless withdrawn by the jurisdictional Principal Commissioner or Commissioner of Customs for non-compliance of law, rules and regulations.

9. इसके बाद, निर्यातक को जिस दिन स्टफिंग की जानी है, उससे केवल एक दिन पहले सीमाशुल्क अधीक्षक (एसएसपी) को केवल नौवहन/सेल्फ-सीलिंग ब्यौरे के बारे में सूचित करना चाहिए। इस संबंध में दी जाने वाली सूचना में अनुमोदित परिसर के स्थान और पते, निर्यात किए जाने वाले माल के विवरण और किसी प्रोत्साहन का दावा किया जा रहा है या नहीं इसके बारे में उल्लेख किया जाना चाहिए।

Subsequently, the exporter shall only intimate the shipment/ self-sealing particulars to the Superintendent of Customs (SSP) one day in advance to the planned stuffing. The intimation, in this regard, shall clearly mention the place and address of the approved premises, description of export goods and whether or not any incentive is being claimed.

10. निर्यातक को सेल्फ-सील किए गए कंटेनरों को नौवहन बिल, पैकिंग लिस्ट, इन्वाइस आदि की अनुबंध-सी में विधिवत् भरी हुई चेकलिस्ट के साथ सीईपीसी (आईसीटीटी), वल्लारपाडम लाना चाहिए और इसके साथ ऐसा कोई अन्य दस्तावेज़ भी लगा होना चाहिए जो सीमाशुल्क द्वारा आगे की किसी जांच, सील सत्यापन, एलईओ प्रदान करना और कन्साइनमेंट के लिए नौवहन बिल जारी करना आदि के लिए आवश्यक हो।

The self-sealed containers shall be brought by the exporter to CEPC (ICTT), Vallarpadam along with the Checklist of the Shipping Bill, Packing List, Invoice, duly filled in **ANNEXURE 'C'** and any other required relevant document for further processing by Customs, including seal verification, granting of LEO and generation of the Shipping Bill for the consignment.

11. सेल्फ-सील किए गए कंटेनर को किसी निर्यातक द्वारा कारखाने या माल-गोदाम से मूवमेंट करने के लिए परिवहन दस्तावेज़ वहीं होंगे जो जीएसटी नियमों के तहत निर्धारित किए गए हैं। ऐसे निर्यातक के

मामले में, जो जीएसटी पंजीकृत नहीं है, वे बिल या ट्रांसपोर्ट चालान या लॉरी रसीद ही परिवहन दस्तावेज़ होगा।

Transport document for movement of self-sealed container by an exporter from factory or warehouse shall be the same as the transport document prescribed under the GST Laws. In the case of an exporter who is not a GST registrant, way bill or transport challan or lorry receipt shall be the transport document.

12. जहां कारखाने/परिसर में स्टफिंग की व्यवहार्यता संबंधी सीमाशुल्क अधीक्षक या निरीक्षक की रिपोर्ट अनुकूल नहीं पाई जाती है, ऐसे मामले में निर्यातक को अपना माल निर्यात के लिए कंटेनर फ्राइट स्टेशन/ इनलैंड कंटेनर डिपो में पहुंचाने होंगे।

Where the visit report of the Superintendent or an Inspector of Customs regarding viability or the stuffing at factory/premises is not favourable, the exporter shall bring the goods to the Container Freight Station / Inland Container Depot for export.

13. जहां निर्यातक जीएसटी पंजीकृत नहीं है, ऐसे मामले में उसको अपना निर्यात माल स्टफिंग और कंटेनर की सीलिंग के लिए किसी कंटेनर फ्राइट स्टेशन/इनलैंड कंटेनर डिपो में लाना चाहिए। तथापि, कुछ परिस्थितियों में, जीएसटी नियमों के तहत पंजीकृत न होना अपेक्षित न होने पर भी कोई निर्यातक सेल्फ-सीलिंग प्रक्रिया का अनुसरण कर सकता है। ऐसी छूट केवल डीजीएफटी द्वारा मान्य स्टेटस होल्डरों को उपलब्ध होगी जिन्हें इस संबंध में वैध स्टेटस होल्डर प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

Where exporter is not a GST registrant, he shall bring the export goods to a Container Freight Station/Inland Container Depot for stuffing and sealing of the container. However, in certain situations, an exporter may follow the self-sealing procedure even if he is not required to be registered under GST Laws. Such an exception is available to the Status Holders recognized by DGFT under a valid status holder certificate issued in this regard.

14. यदि निर्यातक अनुमोदित परिसर(परिसरों) को बदलना चाहता/चाहते हैं, तो उन्हें इस व्यापार सुविधा में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार एक अनुरोध तैयार करना चाहिए और नए परिसर में सेल्फ-सीलिंग शुरू होने से पहले इस संबंध में नई अनुमति जारी की जानी चाहिए।

In case exporter(s) wants to change the approved premise(s), they shall make a request as per the procedures prescribed in this Trade Facility and a fresh permission shall be granted before commencement of self sealing at the new premises.

15. अगर निर्यातक निर्यात-माल की स्व-निकासी (सीमाशुल्क ब्रोकर को लगाए बिना) के आधार पर निकासी चाहता है, तो उसे डिजिटल हस्ताक्षर के तहत नौवहन बिल दायर करना चाहिए।

The exporter intending to clear export goods on self-clearance (without employing a Customs Broker) shall file the Shipping Bill under digital signature.

16. सेल्फ-सील किए गए कंटेनरों में सभी कन्साइनमेंटों का निर्यात पोर्ट पर जोखिम आधारित श्रेणी एवं आसूचना के आधार पर जांच/निरीक्षण किया जा सकता है। पोर्ट/आईसीडी, जैसा भी मामला हो, सीमाशुल्क अधिकारी सील की जांच कर के यह सुनिश्चित करेंगे कि रास्ते में इसके साथ कोई छेड़छाड़ न की गई हो। तथापि, ऐसे कंटेनरों को यादृच्छिक रूप से या आसूचना का आधार पर जांच/स्कैनिंग के लिए चुने जाने की प्रक्रिया जारी रहेगी।

All consignments in self-sealed containers shall be subject to risk based criteria and intelligence, if any, for examination/inspection at the port of export. At the port/ICD as the case may be, the Customs Officer would verify the integrity of the seals to check for tampering, if any en route. However, random or intelligence based selection of such containers for examination/scanning would continue.

17. बोटिल सीलों को बदल कर इनके स्थान पर इलैक्ट्रॉनिक सीलें लाने का प्रस्ताव है। निर्यातक ऐसी छेड़छाड़-मुक्त ई-सीलें वेंडरों से सीधे खरीदें और इन ई-सीलों से कंटेनरों को सील करें। इलैक्ट्रॉनिक सीलों का एक विशेष नंबर होना चाहिए जिसकी घोषणा नौवहन बिलों पर की जानी चाहिए। कंटेनरों को सील करने से पहले, निर्यातक को निर्यातक का नाम, आईईसी कोड, जीएसटीआईएन नंबर, माल का विवरण, टैक्स इन्वॉइस नंबर, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम (सील लगाने के लिए) और नौवहन बिल का नंबर आदि का इलैक्ट्रॉनिक सील पर उल्लेख करना चाहिए। इसके बाद, परिसर से निकलने से पहले कंटेनर को उसी इलैक्ट्रॉनिक सील से सील करना चाहिए। ई-सील की परिकल्पना का विस्तृत ब्यौरा बोर्ड के परिपत्र सं. 36/2017-कस्टम्स दिनांक 28.08.2017 और 37/2017-कस्टम्स दिनांक 20.09.2017 में दिया गया है।

It is proposed to replace the bottle seals with Electronic seals. The exporter shall directly procure such tamper proof e-seals from vendors and seal the container with these e-seals. The electronic seal should have a unique number which should be declared in the shipping Bill. Before sealing the container, the exporter shall feed the data such as name of the exporter, IEC Code, GSTIN number, description of the goods, tax invoice number,, name of the authorized signatory (for affixing the e-seal) and Shipping Bill number in the electronic seal. Thereafter, container shall be sealed with the same electronic seal before leaving the premises. The concept of e- seal is further elaborated in the Board Circular 36/2017-Customs dated 28.08.2017 and 37/2017-Customs dated 20.09.2017.

18. तथापि, सुविधा के उपाय के रूप में, कंटेनरों को बोटिल सील से सील करने की मौजूदा प्रक्रिया को दिनांक **31.10.2017** तक जारी रखा गया है। ई-सील विक्रेता वेंडरों की सूची सीबीईसी की वेबसाइट (www.cbec.gov.in) पर व्यापार वर्ग के सुलभ संदर्भ के लिए उपलब्ध करवाई गई है (परिपत्र सं. 37/2017- कस्टम्स दिनांक 20.09.2017 के अनुसार)

However, as a measure of facilitation, the existing practice of sealing the container with a bottle seal would continue till **31.10.2017**. The list of Vendors providing E-seals is made available on the website of CBEC (www.cbec.gov.in) for ease of reference of the trade (as per Circular No. 37/2017- Cus dated 20.09.2017).

19. परिपत्र सं. 6/2006-कस दिनांक 23.01.2002 (यथा संशोधित) के तहत निर्धारित जांच के मानदंड सभी कन्साइमेंटों के लिए लागू होंगे। यदि कंटेनरों के आरएफआईडी सीलों में छेड़छाड़ पाई जाती है, तो सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा अनिवार्य जांच की जाएगी।

Examination norms as prescribed under Circular No. 6/ 2002-Cus., dated 23.01.2002 (as amended) shall be applicable for all consignments. In case, the RFID seals of the containers are found to be tampered with, then mandatory examination would be carried out by the Customs authorities.

20. संरक्षक और सीमाशुल्क ब्रोकरों को यह सलाह भी दी जाती है कि कंटेनर टर्मिनलों एवं आईसीडी में रीडिंग सुविधाओं के बारे में ई-सील विक्रेताओं से सक्रिय रूप से बात करें ताकि लोजिस्टिक प्रक्रियाओं में कोई बाधा न आए।

Custodians and Customs Brokers are also advised to proactively engage with vendors of e-seals regarding availability of reading facilities at container terminals and ICDs so that there is no dislocation to logistics operations.

21. इस व्यापार सुविधा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में होने वाली कोई भी चूक या सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के तहत या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों या वर्तमान में लागू किसी नियम के अनुसरण में होने वाली किसी चूक को गंभीरता से देखा जाएगा जिससे निर्यातक को प्रदान की गई सेल्फ-सीलिंग प्रक्रिया को रद्द करने और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और उसके अंतर्गत गठित अन्य नियमों एवं विनियमों या इस समय लागू किसी अन्य नियमों के अधीन अन्य कार्रवाई शुरू की जाएगी।

Any deviation from the procedure laid out in this Trade Facility or any violation under the Customs Act, 1962 and rules and regulations made there under or any other law for the time being in force, will be viewed seriously which may result in withdrawal of the self-sealing facility accorded to the exporter and/or initiation of any other proceedings under the Customs Act, 1962 and rules and regulations made there under or any other laws for the time being in force.

22. निर्यात कंटेनरों के सीलिंग से संबंधित उपर्युक्त संशोधित प्रक्रिया दिनांक **01.11.2017** से लागू होगी। सभी संबंधितों से अनुरोध है कि इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपेक्षित औपचारिकताएं उक्त तारीख के अंदर पूरी करें ताकि नई प्रक्रिया में अंतरण करने में कोई कठिनाई न हो।

The above said revised procedure regarding sealing of export containers shall be effective from **01.11.2017**. All concerned, are requested to complete the

formalities required to avail the above facility within the said date, so as to have a seamless transfer to the new procedure.

23. आरएफआईडी सीलों, के विक्रेताओं को ढूँढने में व्यापार एसोसिएशनों को हुई दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने निर्णय लिया है कि अनिवार्य सेल्फ-सीलिंग और आरएफआई कंटेनर सीलों की उपयोग की तारीख को आगे बढ़ाकर 01 नवंबर, 2017 कर दिया जाए। मौजूदा प्रक्रिया उस समय तक जारी रहेगी। यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर 01.10.2017 से सीमाशुल्क स्टेशनों में रीडरों की सुविधा उपलब्ध हो, तो निर्यातक स्वेच्छा से आरएफआई सीलिंग पर आधारित नई सेल्फ-सीलिंग प्रक्रिया को अपना सकते हैं।

Considering the difficulties faced by trade associations in locating vendors of RFID seals, the Board has decided that the date for mandatory self-sealing and use of RFID container seals is deferred to 1st November, 2017. The existing practice may continue till such time. It is also provided that exporters are free to voluntarily adopt the new self-sealing procedure based upon RFID sealing, if readers are in place at the customs station of export from 01.10.2017.

24. सेल्फ-सीलिंग प्रक्रिया से संबंधित मामलों के लिए अधीक्षक (एसएसपी) नोडल अधिकारी होंगे।

Superintendent (SSP) shall be the Nodal Officer for matters related to the self sealing procedure.

25. इसके कार्यान्वयन में यदि कोई दिक्कत पेश आती है, तो उसे उप सीमाशुल्क आयुक्त (एसएपी) के ध्यान में तत्काल लाया जाए।

Any difficulty, experienced in the implementation, may be brought to the notice of the Deputy Commissioner of Customs (SSP) immediately.

-sd-

(पुल्लेला नागेश्वर राव Pullela Nageswara Rao)

प्रधान सीमाशुल्क आयुक्त

Principal Commissioner of Customs

//अनुप्रमाणित Attested//

(वी. उषा V Usha)

अधीक्षक (एसएसपी सेल) Supdt (SSP Cell)

प्रतिलिपि/ Copy to:

TRADE FACILITY No. 11/ 2017

- 1. The Chief Commissioner, Thiruvananthapuram Zone.**
- 2. EDI Section for uploading on Website of Custom House, Cochin.**
- 3. The Cochin Custom House Agent's Association.**
- 4. The Cochin Steamer Agent's Association.**
- 5. Guard file.**
- 6. Notice Board.**

Annexure A

(Application for one time approval for self-sealing of export containers)

To

The Commissioner of Customs,
Custom House,
Cochin – 682009

Sir,

With reference to Trade Facility No. 11/2017 dated 13.09.2017, I/ we hereby intimate that we propose to avail the facility of self-sealing procedure for our exports. Our details are as below:

1. Name of the Enterprise with IEC No :
2. GSTIN :
3. Address of the premises from where self - sealing is to be done :
4. Phone and Email of the factory :
5. Present activities :
6. Copy of Registration under Factories Act, 1948 or any other Acts, if any :
7. Copy of documents proving Ownership/ Lease/ rental Agreement of the Premises :
8. Name of Directors with Aadhar No. :
And address
9. Authorised CHA, if any :

Yours faithfully

Name and Designation of the Authorised Person

Annexure B

List of authorised persons for self-sealing
[In duplicate]

1. Name & address of the Exporter:

2. IE Code/ GSTIN :

3. Details of Authorised signatories:-

Sl. No	Name and residential address of the Authorised Signatory	Designation	Aadhaar No.	Specimen Signature(1)	Specimen Signature (2)
1.					
2.					
3.					

I hereby undertake that in case any deviation is detected/ offence booked and in case the authorized signatory is Missing/ absconding, then I will be held responsible for the same.

Signature

Name and Designation of the person
authorising the signatories.

Authorised Signatory:

1. He/ She should be a permanent employee of the concern.
2. He/ She should provide complete Bio-Data including all Bank Account No., Aadhaar No., residential address and proof of identity in a separate sheet.
3. The authorised signatory should be the owner, the working partner/s, the Managing Director, or the Company Secretary of the export concern or a person duly authorised by such owner, the working partner, or the Board of Directors, as the case may be.

Annexure C

Examination Report for Self-Sealed Container

1. Shipping Bill No./ Date:
2. Name of Exporter
3. IEC No.
Branch Code
BIN (PAN based Business
Identification Number of the Exporter)
GSTIN
4. Factory/Place of stuffing (full address)
5. Date of examination/stuffing
6. Time of stuffing
Starting time
Completion time
Time taken for stuffing
5. Description of cargo with quantity
7. Country of final destination
8. Name & Designation of the Authorised
Signatory
9. Particulars of export Invoice
 - (a) GST Invoice
 - (b) Export Invoice No.
 - (c) Total No. of Packages
 - (d) Name & address of the
consignee abroad :
10. Is the description of the goods, the
quantity and their value as per
particulars furnished in the Export
Invoice/GST Invoice
11. Container Particulars:

Container No.	Size	Seal No.	No. of packages
(1)	(2)	(3)	(4)

12. Starting time of the container from Factory:

I have examined the goods and the same are found to be as per the declaration. The goods are stuffed in the container and the container was sealed with e-seal under my supervision. The e- seal number is.....
I undertake full responsibility for any difference in description, quality or quantity of the goods.

Signature of the Authorised
signatory of the exporter

Name & Designation:

Stamp